

II. अधिसूचना II

सं०-2/सा०सु०-वि०यो०-05/2018 स.क- 546

पटना, दिनांक- 26.09.2018

केन्द्र सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 88 के तहत दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के गठन का प्रावधान है। उक्त के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय - XI (नियम-36, 37, 38 एवं 39) में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार एतद द्वारा दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि का गठन करती है। राज्य निधि के प्रबंधन हेतु शासी निकाय निम्नवत होगी :-

(क) प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग - अध्यक्ष,

(ख) राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, धन संसाधन विभाग, वित्त विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के वर्णानुक्रम के अनुसार धनानुक्रम आधारित दो प्रतिनिधि, जो संयुक्त - सचिव स्तर की पंक्ति में नीचे का न हो - सदस्य

(ग) राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो व्यक्ति जो अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे- सदस्य;

(घ) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय-संयोजक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

(2) राज्य निधि अंतर्गत निम्न प्रकार की राशि क्रेडिट की जाएगी - (1) अनुदान, उपहार, दान, लाभ, वसूलत या स्थानान्तरण के माध्यम से प्राप्त सभी राशि (2) अनुदान सहायता सहित राज्य सरकार से प्राप्त सभी राशि, तथा (3) ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशि जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती है।

(3) उक्त शासी निकाय, बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय - XI (नियम-36, 37, 38 एवं 39) में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य निधि का प्रबंधन करेगी।

(4) यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के संदेशानुसार

(अतुल प्रसाद)

सचिव

समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

सां०-2/सा०सु०-वि०यो०-05/2018 स.क- 546

पटना, दिनांक- 26.09.2018

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महानगरीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, आइ०सी०डी०एस, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, एस०एस०सु०पी०एस० (सक्षम), पटना/ प्रभारी निदेशक, सी०आर०सी०, पटना/ निदेशक, रेल कॉंस सोसाइटी, पटना /स्टेट लेबल बैंकर्स कमिटी, एस०वी०आई०, प्रधान कार्यालय, पटना/ प्रशासक, अनु०जनित सहकारिता विकास निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सक्ष. दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहार एच विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव